बिहार प्रशासनिक सेवा स.

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना-800001
(पंजीयन सं.-633/2003)
Website : basabihar.in, E-mail Id : infobasa1@gmail.com

अध्यक्ष,
सुशील कुमार
मो.-9431091417
E-mail : shushilkumar09@gmail.com

महासचिव,
खुर्शीद अनवर सिद्दिकी
मो.-9771048046
E-mail : siddiquikhursheed1@gmail.com

उपाध्यक्ष,
किशोरी पासवान
कमलेश सिंह

संयुक्त सचिव
अतुल कुमार वर्मा
कुमार रविन्द्र

कोषाध्यक्ष
मिथिलेश कुमार साहु

संयुक्त कोषाध्यक्ष
मृणायक दास

पत्रांक : 41 दिनांक : 31-8-2017

सेवा में,

प्रधान सचिव,
वित्त विभाग,
बिहार।

विषय :– सातवें वेतनमान के संदर्भ में।

प्रसंग :– संघ का पत्रांक 14, दिनांक– 08.06.2017

महाशय,

सातवें वेतनमान के संदर्भ में संघ को कहना है कि भारत सरकार के संकल्प दिनांक– 16.05.2017 द्वारा सिविल वेतन मैट्रिक्स के लेवल 13 के पुनर्गठन सूचकांक को 2.57 से बढ़ाकर 2.67 कर दिया गया है जबकि राज्य सरकार द्वारा निर्गत संकल्प दिनांक– 24.05.2017 में वेतन मैट्रिक्स के सभी लेवल के पुनर्गठन सूचकांक को 2.57 ही रखा गया है।

संघ के पत्रांक 14, दिनांक– 08.06.2017 से मैट्रिक्स के लेवल 13 के पुनर्गठन सूचकांक को 2.57 से बढ़ाकर 2.67 करने का अनुरोध किया गया था।

संघ का पुनः अनुरोध है कि मैट्रिक्स के लेवल 13 के पुनर्गठन सूचकांक को 2.57 से बढ़ाकर 2.67 करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

(खुर्शीद अनवर सिद्दिकी)
महासचिव

(सुशील कुमार)
अध्यक्ष

बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना-800001
(पंजीयन सं.-633/2003)
Website ; basabihar.in, E-mail Id : infobasa1@gmail.com

कार्य. अध्यक्ष
* साँबर भारती
मो.-9955849473

महासचिव,
* सुशील कुमार
मो.-9431091417 E-mail: shushilkumar09@gmail.com

संयुक्त सचिव : * राजयनन्द वार्डियार
* अनिल कुमार
कोषाध्यक्ष : * चन्द्र शेखर सिंह
संयुक्त कोषाध्यक्ष : * विनोद आनन्द

पत्रांकः 14 दिनांकः 8/6/2017

सेवा में,

माननीय मुख्यमंत्री,
बिहार।

विषय :— सातवें वेतनमान के संदर्भ में।

महाशय,

उपरोक्त विषयक संकल्प दिनांक– 24.05.2017 से राज्य सरकार द्वारा केन्द्र के अनुरूप वेतनमान निर्धारित किया गया है। संघ इसके लिए भवदीय को बधाई देता है।

सातवें वेतनमान के संदर्भ में संघ भवदीय का ध्यान दो बिन्दु पर आकृष्ट कराना चाहता है :–

(1) भारत सरकार के संकल्प दिनांक– 16.05.2017 द्वारा सिविल वेतन मैट्रिक्स के लेवल 13 के पुनर्गठन सूचकांक को 2.57 से बढ़ाकर 2.67 कर दिया गया है जबकि राज्य सरकार द्वारा निर्गत संकल्प दिनांक-- 24.05.2017 में वेतन मैट्रिक्स के सभी लेवल के पुनर्गठन सूचकांक को 2.57 ही रखा गया है।

संघ का अनुरोध है कि मैट्रिक्स के लेवल 13 के पुनर्गठन सूचकांक को 2.57 से बढ़ाकर 2.67 करने हेतु संबंधित को निदेश देने की महत्ती कृपा की जाय।

(2) भारत सरकार के साथ–साथ अन्य कई राज्यों यथा उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली सरकार द्वारा सातवें वेतन को दिनांक– 01.01.2016 से वास्तविक रूप से लागू किया गया है। समाचार पत्रों से संघ को ज्ञात हुआ था कि भवदीय द्वारा सातवें वेतनमान को दिनांक– 01.01.2017 से वास्तविक रूप से लागू किये जाने की घोषणा की गई थी। परन्तु वित्त विभाग द्वारा इसे 01.04.2017 से लागू किया गया है।

संघ का भवदीय से अनुरोध है कि सातवें वेतनमान को वास्तविक रूप से लागू करने के तिथि पर पुर्नविचार करने का निदेश संबंधित को देने की महत्ती कृपा की जाय।

(सुशील कुमार)
महासचिव

(साँवर भारती)
कार्य0 अध्यक्ष

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, वित्त विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(सुशील कुमार)
महासचिव

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 132] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 16, 2017/वैशाख 26, 1939

No. 132] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 16, 2017/VAISAKHA 26, 1939

वित्त मंत्रालय

(व्यय विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 16 मई, 2017

सं.1-2/2016-आईसी.—भारत सरकार ने तारीख 25 जुलाई, 2016 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित अपने संकल्प सं. 1-2/2016-आईसी द्वारा तारीख 28 फरवरी, 2014 के अपने पिछले संकल्प सं. 1/1/2013-ई.III(ए) में अंतर्विष्ट निर्देश-निबन्धनों के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के प्रवर्गों के संबंध में सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें स्वीकार की थीं।

और सरकार, कर्मचारियों के उक्त प्रवर्गों के संबंध में उक्त सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों में निम्नलिखित परिवर्तन करना आवश्यक समझती है, अर्थात्:—

(1) रक्षा वेतन मैट्रिक्स (सैन्य नर्सिंग सेवा को छोड़कर), जिसमें 24 प्रक्रम हैं, में सिविल वेतन मैट्रिक्स की भांति बढ़ाकर 40 प्रक्रम किए जाएंगे;

(2) रक्षा वेतन मैट्रिक्स के लेवल 12क और लेवल 13 का पुनर्गठन सूचकांक 2.57 मे बढ़ाकर 2.67 कर दिया जाएगा। तदनुसार, रक्षा वेतन मैट्रिक्स (सैन्य नर्सिंग सेवा को छोड़कर) पुनरीक्षित की जाएगी;

(3) सैन्य नर्सिंग सेवा के वेतन मैट्रिक्स के लेवल 10ख और नेवल 12 में उपदर्शित तथ्यात्मक त्रुटियों को सुधारने के लिए और रक्षा वेतन मैट्रिक्स में पुनर्गठन सूचकांक में परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए, सैन्य नर्सिंग सेवा के वेतन मैट्रिक्स के तत्समान लेवल के प्रथम प्रक्रम में भी परिवर्तन किया जाएगा। तदनुसार, वेतन मैट्रिक्स (सैन्य नर्सिंग सेवा) को पुनरीक्षित किया जाएगा;

(4) सिविल वेतन मैट्रिक्स के लेवल 13 के पुनर्गठन सूचकांक को भी 2.57 से बढ़ाकर 2.67 कर दिया जाएगा। तदनुसार, तारीख 25 जुलाई, 2016 के पूर्वोक्त संकल्प के पैरा 6 में उल्लिखित अनुबंध-1 में यथा अंतर्विष्ट सिविल वेतन मैट्रिक्स को पुनरीक्षित किया जाएगा। पुनरीक्षित सिविल वेतन मैट्रिक्स परिशिष्ट-1 में दी गई है;

(5) तारीख 25 जुलाई, 2016 के पूर्वोक्त संकल्प के पैरा 13 में अंतर्विष्ट उपबंध इस विस्तार तक पुनरीक्षित हो जाएंगे कि केन्द्रीय स्टाफिंग स्कीम के अधीन प्रतिनियुक्ति पर तैनात अधिकारियों के व्यक्तिगत वेतन के रूप में वेतन-संरक्षा का फायदा, जैसा कि उसमें परिकल्पित है, 25 जुलाई, 2016 के बजाय 01 जनवरी, 2016 से दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, यह फायदा केन्द्रीय स्टाफिंग स्कीम के अधीन सेवाओं के ऐसे अधिकारियों को भी दिया जाएगा, जो केन्द्रीय स्टाफिंग स्कीम के अंतर्गत न आने वाले पदों पर केन्द्रीय सरकार में प्रतिनियुक्ति पर आते हैं।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया जाए।

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों तथा अन्य सभी संबंधित पक्षों को भेजी जाए।

आर. के. चतुर्वेदी, संयुक्त सचिव

वेतन मैट्रिक्स (सिविल कर्मचारी)

परिशिष्ट-1

वेतन बैंड	5200-20200					9300-34800				15600-39100			37400-67000			67000-79000	75500-80000	80000	90000
ग्रेड वेतन	1800	1900	2000	2400	2800	4200	4600	4800	5400	5400	6600	7600	8700	8900	10000				
लेवल	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13क	14	15	16	17	18
1	18000	19900	21700	25500	29200	35400	44900	47600	53100	56100	67700	78800	123100	131100	144200	182200	205400	225000	250000
2	18500	20500	22400	26300	30100	36500	46200	49000	54700	57800	69700	81200	126800	135000	148500	187700	211600		
3	19100	21100	23100	27100	31000	37600	47600	50500	56300	59500	71800	83600	130600	139100	153000	193300	217900		
4	19700	21700	23800	27900	31900	38700	49000	52000	58000	61300	74000	86100	134500	143300	157600	199100	224400		
5	20300	22400	24500	28700	32900	39900	50500	53600	59700	63100	76200	88700	138500	147600	162300	205100			
6	20900	23100	25200	29600	33900	41100	52000	55200	61500	65000	78500	91400	142700	152000	167200	211300			
7	21500	23800	26000	30500	34900	42300	53600	56900	63300	67000	80900	94100	147000	156600	172200	217600			
8	22100	24500	26800	31400	35900	43600	55200	58600	65200	69000	83300	96900	151400	161300	177400	224100			
9	22800	25200	27600	32300	37000	44900	56900	60400	67200	71100	85800	99800	155900	166100	182700				
10	23500	26000	28400	33300	38100	46200	58600	62200	69200	73200	88400	102800	160600	171100	188200				
11	24200	26800	29300	34300	39200	47600	60400	64100	71300	75400	91100	105900	165400	176200	193800				
12	24900	27600	30200	35300	40400	49000	62200	66000	73400	77700	93800	109100	170400	181500	199600				
13	25600	28400	31100	36400	41600	50500	64100	68000	75600	80000	96600	112400	175500	186900	205600				
14	26400	29300	32000	37500	42800	52000	66000	70000	77900	82400	99500	115800	180800	192500	211800				
15	27200	30200	33000	38600	44100	53600	68000	72100	80200	84900	102500	119300	186200	198300	218200				
16	28000	31100	34000	39800	45400	55200	70000	74300	82600	87400	105600	122900	191800	204200					
17	28800	32000	35000	41000	46800	56900	72100	76500	85100	90000	108800	126600	197600	210300					
18	29700	33000	36100	42200	48200	58600	74300	78800	87700	92700	112100	130400	203500	216600					
19	30600	34000	37200	43500	49600	60400	76500	81200	90300	95500	115500	134300	209600						
20	31500	35000	38300	44800	51100	62200	78800	83600	93000	98400	119000	138300	215900						
21	32400	36100	39400	46100	52600	64100	81200	86100	95800	101400	122600	142400							
22	33400	37200	40600	47500	54200	66000	83600	88700	98700	104400	126300	146700							
23	34400	38300	41800	48900	55800	68000	86100	91400	101700	107500	130100	151100							
24	35400	39400	43100	50400	57500	70000	88700	94100	104800	110700	134000	155600							
25	36500	40600	44400	51900	59200	72100	91400	96900	107900	114000	138000	160300							
26	37600	41800	45700	53500	61000	74300	94100	99800	111100	117400	142100	165100							
27	38700	43100	47100	55100	62800	76500	96900	102800	114400	120900	146400	170100							
28	39900	44400	48500	56800	64700	78800	99800	105900	117800	124500	150800	175200							
29	41100	45700	50000	58500	66600	81200	102800	109100	121300	128200	155300	180500							
30	42300	47100	51500	60300	68600	83600	105900	112400	124900	132000	160000	185900							
31	43600	48500	53000	62100	70700	86100	109100	115800	128600	136000	164800	191500							
32	44900	50000	54600	64000	72800	88700	112400	119300	132500	140100	169700	197200							
33	46200	51500	56200	65900	75000	91400	115800	122900	136500	144300	174800	203100							
34	47600	53000	57900	67900	77300	94100	119300	126600	140600	148600	180000	209200							
35	49000	54600	59600	69900	79600	96900	122900	130400	144800	153100	185400								
36	50500	56200	61400	72000	82000	99800	126600	134300	149100	157700	191000								
37	52000	57900	63200	74200	84500	102800	130400	138300	153600	162400	196700								
38	53600	59600	65100	76400	87000	105900	134300	142400	158200	167300	202600								
39	55200	61400	67100	78700	89600	109100	138300	146700	162900	172300	208700								
40	56900	63200	69100	81100	92300	112400	142400	151100	167800	177500									

1. MACP :- रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अधीन सीधी भर्त्ती वाले ग्रेड में क्रमशः 10, 20 और 30 वर्षों की सेवा पूरी करने पर तीन वित्तीय उन्नयन दिए जाएंगे। जब कभी कोई व्यक्ति एक ही ग्रेड वेतन में लगातार 10 वर्ष की सेवा पूरी कर लेगा तब उसे इस योजना के अधीन वित्तीय उन्नयन अनुमान्य होगा।

2. MACP:- लागू होने की तिथि 01.01.2009 है। 40वीं, 41वीं, 42वीं बैंच के पदाधिकारी का योगदान वर्ष क्रमशः 1997, 1999 एवं 2000 है।

3. छठा वेतनमान 01.01.2006 से लागू की गई एवं इस तिथि को सभी पदाधिकारी का वेतन Conversion किया गया।

4. 40वीं, 41वीं एवं 42वीं बैंच के पदाधिकारी को भी दिनांक 01.01.2006 को वेतन Conversion किया गया तो यह Conversion 1st MACP कैसे हो सकता है।

5. MACP लागू होने के पूर्व ही 40वीं, 41वीं एवं 42वीं बैंच के पदाधिकारी का सेवा अवधि क्रमशः 12वर्ष, 10वर्ष एवं 9वर्ष हो चुकी थी।

6. वित्त विभाग का पत्रांक 8710, दिनांक– 19.09.2011 के अनुसार उन सेवाओं के पदाधिकारी, जिन्हें दिनांक 01.01.2006 के प्रभाव से मूल कोटि का वेतनमान पी0बी0–2+5400 एवं चार वर्ष के बाद पी0बी0–3+5400 स्वीकृत है, उनके मामले में प्रथम उन्नयन पी0बी0–3+5400 माना जाएगा। इन्हें द्वितीय एवं तृतीय उन्नयन क्रमशः पी0बी0–3+6600 एवं पी0बी0–3+7600 के वेतनमान में अनुमान्य होगा।

7. 01.01.2006 को 40वीं, 41वीं एवं 42वीं बैंच के पदाधिकारी का सेवा अवधि क्रमशः 09वर्ष, 07वर्ष एवं 06वर्ष हो चुकी थी। इन बैंच के पदाधिकारी 01.01.2006 से पूर्व GP एवं Pay Band के वेतनमान में थे ही नहीं।

8. 01.01.2006 के वेतन Conversion PB-3, GP-5400 को 1st MACP मानने का कोई आधार नहीं है।